न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
209/2019 (RCMS 2019/00395)	18.06.2019	03.10.2019

अनवान

1. देवीलाल पिता गोपीलाल चमार उम्र वयस्क निवासी धनेतकलां तहसील चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. जमनी बेवा गोपीलाल चमार उम्र वयस्क निवासी धनेतकलां तहसील चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
3. प्यारचंद पिता कालु जाति चमार उम्र वयस्क निवासी धनेतकलां तहसील चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
4. माधु लाल पिता कालु चमार उम्र वयस्क निवासी धनेतकलां तहसील चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
5. नाथी बेवा कालु चमार उम्र वयस्क निवासी धनेतकलां तहसील चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

प्रार्थीगण

बनाम

1. देवकिशन पिता मदनलाल चमार उम्र वयस्क निवासी धनेतकलां तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. नितेश पिता मदनलाल चमार उम्र वयस्क निवासी धनेतकलां तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
3. जानी पत्नि मदनलाल चमार उम्र वयस्क निवासी धनेतकलां तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
4. सुरज पिता मूलचंद चमार उम्र वयस्क निवासी धनेतकलां तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
5. बाबुलाल पिता मूलचंद चमार उम्र वयस्क निवासी धनेतकलां तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
6. गीता पत्नि मूलचंद चमार उम्र वयस्क निवासी धनेतकलां तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
7. श्यामलाल पिता भैरूलाल चमार उम्र वयस्क निवासी धनेतकलां तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
8. बालकिशन पिता भैरूलाल चमार उम्र वयस्क निवासी धनेतकलां तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
9. कैलाशचन्द्र पिता राजेन्द्र खटीक निवासी खटीक मौहल्ला चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :– अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर जोशी — प्रार्थी
एक तरफा — अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी गण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा धनेतखुर्द पटवार हल्का कश्मौर तहसील व जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2068–2071 के खाता संख्या 39, 154 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 284, 285, 286,143/2 कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण आराजियात जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार हैं।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। इस पर दिनांक 02.07.2019 को अप्रार्थी संख्या 7, 8 स्वयं हाजिर आये एवं प्रार्थना पत्र बाबत् कोई एतराज नहीं होना जाहिर किया। एवं अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा के आदेश दिये गयें। दिनांक 03.10.2019 को अप्रार्थी संख्या 9 के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकरण को निस्तारण आज ही लोक अदालत की भावना से किये जाने का निवेदन किया गया।

इस पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को एक तरफा सुना गया। बहस प्रार्थना पत्र में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की ईशतदुआ की गई। हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। सुनीगई बहस प्रार्थना पत्र का चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र का मनन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित हैं। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का आदेश

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिया जाता है। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को आदेश दिया जाता है कि मौजा धनेतखुर्द पटवार हल्का कश्मौर तहसील व जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2068-2071 के खाता संख्या 39, 154 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 284, 285, 286,143/2 कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को 1000/- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक को **03.10.2019** खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक/सरिश्ता 5–08(209)2019/03.10.2019/ दिनांक 03 अक्टूबर, 2019

निमित,

तहसीलदार,
चित्तौड़गढ़

विषय :– बाबत् पत्थरगढ़ी।

1. देवीलाल पिता गोपीलाल चमार उम्र वयस्क निवासी धनेतकलां तहसील चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. जमनी बेवा गोपीलाल चमार उम्र वयस्क निवासी धनेतकलां तहसील चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
3. प्यारचंद पिता कालु जाति चमार उम्र वयस्क निवासी धनेतकलां तहसील चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
4. माधु लाल पिता कालु चमार उम्र वयस्क निवासी धनेतकलां तहसील चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
5. नाथी बेवा कालु चमार उम्र वयस्क निवासी धनेतकलां तहसील चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

प्रार्थीगण

बनाम

1. देवकिशन पिता मदनलाल चमार उम्र वयस्क निवासी धनेतकलां तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. नितेश पिता मदनलाल चमार उम्र वयस्क निवासी धनेतकलां तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
3. जानी पत्नि मदनलाल चमार उम्र वयस्क निवासी धनेतकलां तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
4. सुरज पिता मूलचंद चमार उम्र वयस्क निवासी धनेतकलां तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
5. बाबुलाल पिता मूलचंद चमार उम्र वयस्क निवासी धनेतकलां तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
6. गीता पत्नि मूलचंद चमार उम्र वयस्क निवासी धनेतकलां तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
7. श्यामलाल पिता भैरूलाल चमार उम्र वयस्क निवासी धनेतकलां तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
8. बालकिशन पिता भैरूलाल चमार उम्र वयस्क निवासी धनेतकलां तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
9. कैलाशचन्द्र पिता राजेन्द्र खटीक निवासी खटीक मौहल्ला चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

अप्रार्थीगण

प्रकरण संख्या :– 209/2019

(RCMS 2019/00395)

–:: प्रार्थना पत्र बाबत् कराये जाने पत्थर गढ़ी ::–

उपरोक्त अनवान से संबंधित प्रकरण में आपको 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा **धनेतखुर्द** पटवार हल्का **कश्मौर** तहसील व जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत्

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2068–2071 के खाता संख्या 39, 154 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या **284, 285, 286,143/2** कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित किये जाये एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
चित्तौड़गढ़